

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्तमंत्रालय

(राजस्वविभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय


अधिसूचना सं. 24/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 21.05.2020

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक राजस्व आसूचना एतदद्वारा अधिसूचना सं. 19/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि) दिनांक 03.03.2020, का.आ. 983(अ) दिनांक 05.03.2020 द्वारा प्रकाशित,में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं.1 के स्तंभ सं.3 में मौजूद शब्दों को "फ़ा सं.DRI/AZU/ GRU-26/Panoli (Int-26)/2015/ 2019 दिनांक 22.01.2020, दिनांक 07.02.2020 के पूरक कारण बताओ नोटिस के साथ पठनीय" से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फ़ा. सं.DRI/HQ-CI/50D/CAA-10/2020]

  
(जसप्रीत सिंह सुखीजा)  
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क, कस्टम हाउस, कांडला
2. प्रधान अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद को इस अनुरोध के साथ कि वे कारण बताओ नोटिस दिनांक 22.01.2020 और दिनांक 07.02.2020 के पूरक कारण बताओ नोटिसके नोटिसियों को इस संदर्भ में सूचित करें।